



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2019/भाद्र 22, 1941

No. 526]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2019/BHADRA 22, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

**सा.का.नि. 648(अ).**—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् (आवासी सदस्यों की योग्यता और अनुभव) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं--(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) अभिप्रेत है;

(ख) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं किए गए हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके क्रमशः दिए गए हैं।

3. धारा 11 के दूसरे परंतुक के अधीन नामनिर्दिष्ट आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् के सदस्य द्वारा धारण की गई चिकित्सा अर्हता और अनुभव--(1) धारा 11 के दूसरे परंतुक के अधीन नामनिर्दिष्ट आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् का सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा,--

(क) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा विज्ञान की किसी शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि धारण करता हो ;

(ख) जो राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो ; और

(ग) जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष से अन्यून अवधि का अनुभव हो, जिसके अंतर्गत सात वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी हो ।

[सं. वी. 11012/13/2019-एमईपी (भाग III)]

सुधांश पंत, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2019

**G.S.R. 648(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 56 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Medical Commission, Medical Advisory Council (Qualification and Experience of Residuary Member) Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019);

(b) “section” means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

**3. Medical qualification and experience to be possessed by a Member of Medical Advisory Council nominated under second proviso to section 11.**—(1) The Member of Medical Advisory Council to be nominated under the second proviso to section 11 shall be a person—

(a) possessing a post-graduate degree in any discipline of medical sciences from a recognised University;

(b) registered with the National Register or State Register; and

(c) having experience of not less than fifteen years, including seven years administrative experience, in the field of medical sciences from a recognised institution or University.

[No.V.11012/13/2019-MEP(Pt.III)]

SUDHANSH PANT, Jt. Secy.